न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 79/2017

1. जसविन्द्रसिंह } पिसरान गुरनेकसिंह जाति जटसिख निवासीगण
2. सतनामसिंह } चक 10जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर
दिनांक 02.05.2017

उपस्थितः—

श्री तेजासिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251ए के तहत उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश कर चक 10 जैड के मु.नं. 32 व 37 की बट पर बनी पुलिया के नीचे से पानी ले जाने की स्वीकृति मय पुलिया दिये जाने के आदेश का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की रिपोर्ट तलब कर दिनांक 02.05.2017 को प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने पुलिया बनाने की सहमति दी थी एवं पाईप डालने से किसी को कोई नुकसान होने वाला

23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नहीं है। ऐसे प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार अधी.न्यायालय को ही प्राप्त है। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उचित होने से अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 02.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें अपीलांट का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए रा.का.अ. 1955 खारिज किया गया है जबकि तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति करने की अभिशंषा की है। अतः अधी. न्यायालय का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अन्डर ग्राउन्ड पानी ले जो के लिए 251ए के तहत प्रार्थना पेश किया जिसे अधी. न्यायालय द्वारा धारा 251ए के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्कारी अधिनियम की धारा 251ए(a) का पठन संदर्भित है जिसकी Bare-reading है कि कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है।

अतः अधी.न्यायालय का विवेचन कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए पोषणीय नहीं है धारा 251ए (a) के विधिक प्रावधानों के विपरीत है साथ ही अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.04.2017 में सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 व 151 का प्रार्थना पत्र पेश होना जाहिर किया है जिसका निस्तारण अधी. न्यायालय द्वारा नहीं किया है जो प्रकरण हाजा के विधिक निर्णय हेतु अहम प्रार्थना पत्र है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधी.न्यापयालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है

23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 निर्णित करे तथा गुणावगुण के आधार पर पनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर